न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :119/2020

वादीगण–

1. कमला देवी पुत्री उमाराम
2. सीता देवी पुत्री उमाराम
3. हड़मानराम पुत्र उमाराम
4. चैनाराम पुत्र उमाराम
5. रूकमा पुत्री उमाराम
6. सुमित्रा पुत्री उमाराम

जातियान– जाट निवासीगण–अड़सिंगा ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. उमाराम पुत्र देवाराम
   जाति–जाट निवासीगण–अड़सिंगा, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 29/6/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 से 6 प्रतिवादी संख्या 1 उमाराम की जायन्दा संताने है तथा वादीगण के पिता की बडेर पुस्तैनी भूमि मौजा अड़सिंगा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 104 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नं. 337/485 रकबा 1.2302 हैक्टर व खेत खसरा नं. 74 रकबा 9.2916 हैक्टेयर व खसरा नं. 118 रकबा 1.7725 हैक्टेयर , खसरा नंबर 15 रकबा 1.2869 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/488 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 19 रकबा 6.2645 हैक्टेयर, खसरा नंबर 261 रकबा 4.7672 हैक्टेयर , खसरा नंबर 382 रकबा 3.6503 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 1.4245 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559/496 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल खसरे 12 रकबा 33.5161 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादपत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। जो पुश्तैनी भूमि होने के कारण जन्म से ही वादीगण का हक अधिकारी रहता रहा है तथा वादीगण समझ समझाईश से अपने जोत की घोषणा करवाने हेतु निवेदन किया है । वाद पत्र के पैरा संख्या 7 के

29/6/2024

अनुसार वादीगण की इस्दुआ निम्न प्रकार से है कि मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नं. 104 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नं. 337/485 रकबा 1.2302 हैक्टर व खेत खसरा नं. 74 रकबा 9.2916 हैक्टेयर व खसरा नं. 118 रकबा 1.7725 हैक्टेयर , खसरा नंबर 15 रकबा 1. 2869 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/488 रकबा 0. 0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 19 रकबा 6.2645 हैक्टेयर, खसरा नंबर 261 रकबा 4.7672 हैक्टेयर , खसरा नंबर 382 रकबा 3.6503 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 1.4245 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559/496 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल खसरे 12 रकबा 33.5161 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 से 6 कमश कमलादेवी, सीता, हडमानराम,चैनाराम,रूकमा, सुमित्रा को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे व माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 14.10.2020 को न्यायालय में ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हड़मानराम पुत्र उमाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम अड़सिंगा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 13 प्रदर्श–1 नकल, खाता संख्या 12 प्रदर्श–2 किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ने वादीगण के हक बंट की भूमि को जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 14.10.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा

तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। परन्तु प्रकरण हाजा में वादीगण द्वारा प्रतिवादी जो वादीगण के पिता है तथा विवादग्रस्त भूमि पुस्तैनी होने से सहखातेदार की इस्तदुआ चाही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति जाहिर की है। इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाना तथा वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मौजा अड़सिंगा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 104 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नं. 337/485 रकबा 1.2302 हैक्टर व खेत खसरा नं. 74 रकबा 9.2916 हैक्टेयर व खसरा नं. 118 रकबा 1.7725 हैक्टेयर , खसरा नंबर 15 रकबा 1.2869 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/488 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 19 रकबा 6.2645 हैक्टेयर, खसरा नंबर 261 रकबा 4.7672 हैक्टेयर , खसरा नंबर 382 रकबा 3.6503 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 1.4245 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559/496 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल खसरे 12 रकबा 33.5161 हैक्टेयर भूमि में सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...29/6/2024..... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29/6/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल